

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पच्चीस'

[ 6/3/2017 ]

प्रश्न सं. [ क. 4281 ]

परिशिष्ट

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 4281 द्वारा श्री मुकेश पण्ड्या सदस्य विधानसभा

उज्जैन जिले में विगत 02 वर्षों में बीपीसी गैस एजेंसियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत एवं की गई कार्यवाही का विवरण


क्र.	शिकायत प्राप्ति दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का स्वरूप	अधिकारी का नाम जिसको जांच सौंपी गई	शिकायत की जांच में पाई गई वस्तुस्थिति / अनियमिताएं	अनियमिताएं पाये जाने पर की गई कार्यवाही
1	22/07/2015	श्री कोमल सिंह गुमानसिंह यादव, निवासी-कुमार गली उज्जैन	शिप्रा गैस एजेंसी, उज्जैन द्वारा सिलेण्डर (रिफिलिंग) समय पर नहीं देने बाबत।	श्री आशीष जोशी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, उज्जैन जांच दिनांक 07.08.2015	बैकलॉग होने के कारण रिफिलिंग में विलम्ब होना पाया गया।	एजेंसी संचालक को भविष्य के लिये चेतावनी दी गई। आपूर्ति में सुधार के लिये निर्देशित किया।
2	17/08/2015	श्री राजेश ओमकारलाल, आगर रोड़, उज्जैन	गैस सेंटर एजेंसी, उज्जैन द्वारा सिलेण्डर (रिफिलिंग) समय पर नहीं करने बाबत।	श्री पीयूष शुक्ल, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, उज्जैन जांच दिनांक 14.07.2016	बाटलिंग प्लांट से सिलेण्डरों की आपूर्ति बाधित होने से विलम्ब से रिफिलिंग	एजेंसी संचालक को भविष्य के लिये चेतावनी दी गई। आपूर्ति में सुधार के लिये निर्देशित किया।
3	18/08/2015	श्री शैलेन्द्रसिंह सेगर, मेहशानगर, उज्जैन	शिप्रा गैस एजेंसी, उज्जैन द्वारा नवीन कनेक्शन बाबत ली गई राशि का बिल नहीं देने बाबत।	श्री आशीष जोशी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, उज्जैन जांच दिनांक 03.09.2015	उपभोक्ता द्वारा चूल्हा नहीं लेने के कारण बिल विलम्ब से दिया गया।	उपभोक्ता के पास पूर्व से चूल्हा होने के कारण बिना चूल्हे के कनेक्शन दितवाया गया।
4	17/09/2015	दूरभाष पर प्राप्त	गैस सेंटर द्वारा सिलेण्डरों का अवैध संग्रह (बीपीसी डीलर)	श्रीमती रश्मि खाम्बटे, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं अन्य जांच दिनांक 17.09.2015	गैस सेंटर, उज्जैन (बीपीसी डीलर) द्वारा गोदाम से अन्यत्र 195 सिलेण्डरों का संग्रह पाये जाने पर जप्त कर प्रकरण निर्मित।	प्रकरण न्यायालय कलेक्टर में ईसीएक्ट के तहत प्रस्तुत। न्यायालय आदेश दिनांक 20.06.2016 राशि रुपये 50,000/- अर्थदण्ड।
5	17/09/2015	दूरभाष पर प्राप्त	गैस सेंटर द्वारा सिलेण्डरों का अवैध संग्रह (बीपीसी डीलर)	श्री नारायणसिंह मुवेल, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं अन्य जांच दिनांक 17.09.2015	गैस सेंटर, उज्जैन (बीपीसी डीलर) द्वारा गोदाम से अन्यत्र 27 सिलेण्डरों का संग्रह पाये जाने पर जप्त कर प्रकरण निर्मित।	प्रकरण न्यायालय कलेक्टर में ईसीएक्ट के तहत प्रस्तुत। न्यायालय आदेश दिनांक 20.06.2016 राशि रुपये 5000/- अर्थदण्ड।
6	17/09/2015	दूरभाष पर प्राप्त	गैस सेंटर द्वारा सिलेण्डरों का अवैध संग्रह। (बीपीसी डीलर)	श्री महादेव मुवेल कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं अन्य जांच दिनांक 17.09.2015	गैस सेंटर, उज्जैन (बीपीसी डीलर) द्वारा गोदाम से अन्यत्र 29 सिलेण्डरों का संग्रह पाये जाने पर जप्त कर प्रकरण निर्मित।	प्रकरण न्यायालय कलेक्टर में ईसीएक्ट के तहत प्रस्तुत। न्यायालय आदेश दिनांक 20.06.2016 राशि रुपये 5000/- अर्थदण्ड।
7	30/09/2015	श्री सुशील वर्मा, एडवोकेट, इन्दौर	सिलेण्डर ब्लेक करने बाबत।	सुश्री सुकृति सिंह, उपसंचालक खाद्य एवं अन्य जांच दिनांक 21.09.2015	एजेंसी द्वारा 10 अपजिकृत उपभोक्ताओं को लगातार सिलेण्डर (रिफिलिंग) प्रदाय किये गये।	प्रकरण निर्मित कर न्यायालय कलेक्टर को प्रस्तुत। न्यायालय कलेक्टर आदेश दिनांक 21.12.2015 से 10 कनेक्शन निरस्त कर राशि रु. 5,000/- शासनहित में राजसात की गई।

अनुभाग अधिकारी  
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं  
उपभोक्ता संरक्षण विभाग,  
मंत्रालय

निरंतर  
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण  
विभाग, इन्दौर (म.प्र.)

(2)

8	12/02/2016	श्री जमनाप्रसाद शाक्यवार, उज्जैन	गैस सेंटर एजेंसी, उज्जैन द्वारा सिलेण्डर (रिफिलिंग) समय पर नहीं करने बाबत।	श्री पीयूष शुक्ल, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, उज्जैन जांच दिनांक 14.07.2016	बाटलिंग प्लांट से सिलेण्डरों की आपूर्ति बाधित होने से विलम्ब से रिफिलिंग	एजेंसी संचालक को भविष्य के लिये चेतावनी दी गई। आपूर्ति में सुधार के लिये निर्देशित किया।
9	16/11/2016	ग्राम पंचायत बिरगोदा रणधीर एवं सनावदा तहसील बड़नगर के उपभोक्तागण	ग्राम पंचायत बिरगोदा रणधीर एवं सनावदा तहसील बड़नगर के उपभोक्तागण	सुश्री माया दिनकर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, बड़नगर एवं अन्य जांच दिनांक 17.12.2016 एवं 26.12.2016	जांच दिनांक 16.11.2016 एवं 17.11.2016 अंतरिम जांच प्रतिवेदन अनुसार ग्राम बिरगोदारणधीर एवं सनावदा के 22 उपभोक्ताओं को सुविधा गैस एजेंसी द्वारा मात्रा उपभोक्ता डायरी एवं एस. वी. पेपर जारी परंतु सिलेण्डर, रेग्युलेटर एवं टंकी प्रदाय नहीं ।	अंतरिम जांच प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 18.11.2016 सुविधा गैस एजेंसी, उज्जैन की जांच की गई एवं अनियमितताएं पाये जाने पर इसी एक्ट के तहत प्रकरण बनाये गये। कलेक्टर न्यायलय से एस.सी.एन जारी किये गये हैं। विस्तृत विवरण टीप में अंकित है।
10	16/12/2016	ग्रामीण जन ग्राम सुवासा तहसील बड़नगर	नगर उज्जैन में कार्यरत महावीर गैस सर्विस, सुविधा गैस एजेंसी एवं श्री महाकालेश्वर भारत गैस सर्विस से कनेक्शन जारी परंतु उपभोक्ताओं को मात्रा डायरी प्रदाय सिलेण्डर, रेग्युलेटर एवं टंकी अप्राप्त	सुश्री माया दिनकर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, बड़नगर एवं अन्य जांच दिनांक 17.12.2016 एवं 26.12.2016	अंतरिम जांच प्रतिवेदन अनुसार ग्राम सुवासा के 29 उपभोक्ताओं को उज्जैन की तीन गैस एजेंसी महावीर गैस, सुविधा गैस एवं महाकालेश्वर गैस एजेंसी से कनेक्शन बाबत मात्रा उपभोक्ता डायरी एवं कुछ उपभोक्ताओं को एस. वी. पेपर जारी परंतु सिलेण्डर, रेग्युलेटर एवं टंकी प्रदाय नहीं ।	अंतरिम जांच प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 18.11.2016 सुविधा गैस सर्विस, 21.12.2016 को श्री महावीर गैस सर्विस, 22.12.2016 को श्री महाकालेश्वर भारत गैस सर्विस की जांच खाद्य विभाग के कार्यपालिक स्टॉफ से करवाई गई। जांच में अनियमितताएं पाये जाने पर तीनों एजेंसियों के विरुद्ध इसी एक्ट के तहत प्रकरण बनाये गये। इसका विवरण टीप में अंकित है।
11	01/01/2017	दूरभाष पर शिकायत प्राप्त	सुविधा गैस उज्जैन द्वारा पूर्व में जारी फर्जी गैस कनेक्शनों पर गैस टंकी, रेग्युलेटर प्रदाय कर साक्ष्य मिलाने बाबत।	सुश्री माया दिनकर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, बड़नगर एवं अन्य जांच दिनांक 04.01.2017	चंदेल पेट्रोल पम्प के पास 05 सिलेण्डर एवं दाब रेग्युलेटर पाये गये। ग्राम भेसलाकला के उपभोक्ताओं को गैस टंकी एवं रेग्युलेटर देने हेतु प्रदीप पिता चंतरदास बैरागी द्वारा बुलवाया गया। जांच समय 05 टंकी एवं रेग्युलेटर उपभोक्ताओं को देने की तैयारी में थे, जो मौके पर जप्त किये गये।	जांच प्रतिवेदन अनुसार पाये गई अनियमितताओं के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय कलेक्टर से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। प्रकरण में कार्यवाही प्रचलित है।

  
 अनुभाग अधिकारी  
 उच्च, कनिष्ठ आपूर्ति एवं  
 उपभोक्ता संबंध विभाग,  
 भद्रालय

  
 उच्च, कनिष्ठ आपूर्ति एवं  
 उपभोक्ता संबंध विभाग,  
 भद्रालय